कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड़, लो०नि०वि० श्रीनगर

Email eenhsrinagar@ gmail.   *Com phone/Fax No- 01346-250711*

पत्रांक 368/02सी0

दिनांक 11/04/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल
वन प्रभाग, पौड़ी।

11/4/22
CAO

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 196.00 से 276.00 सतपुली–श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 32.553 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0रा0, लो0नि0वि0, श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रमाग, पौडी पत्रांक– 3301/12–1 दिनांक 08–04–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है–

क्र0स0	त्रुटियां/कमियां	अनुपालन आख्या
1–	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु स0 1 मे इंगित त्रुटि आनलाइन अपलोड Authority Letter तथा (ऑनलाईन पार्ट 1 के पैरा– A-3 में वन भूमि हस्तान्तरण कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी के नाम मे अंतर) का निराकरण नही किया गया है।	Part-1 के पैरा A-3 मे ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत अधिकारी श्री नवनीत पांडे अधिषासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, धुमाकोट नामित हैं। Authority द्वारा श्री नवनीत पांडे अधिषासी अभियन्ता धुमाकोट के नाम जारी Authorization letter संलग्न है।
2–	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले) में वाछिंत सूचनायें पूर्ण रुप से भरे जाने के निर्देष दिये गये थे उक्त सूचना संलग्न नहीं है।	प्रपत्र भाग– I में सभी सूचनायें पूर्ण रूप से भर दी गयी हैं।
3–	उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 5 से अपेक्षित सूचना (प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न करने हेतु) संलग्न नही की गई है।	प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या को PCCF Office देहरादून कार्यालय में 05/04/2022 को जाकर कर अंकित कर दी गयी है।
4–	बिन्दु संख्या 6 मे ग्रम सभाओं की बैठक से पूर्व उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र में अकित दिनांक 29–07–2015 के अंकित होने के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नही की गई है।	प्रारूप 23.2 जो कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित है में उपखण्ड स्तरीय प्रमाण–पत्र पूर्व में दिनांक 29–07–2015 का संलग्न है। अवगत कराना है कि पुर्व मे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे मलवा निस्तारण हेतु वन भूमि सम्मिलित नहीं की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम गाईडलाईस के अनुसार मलवा निस्तारण हेतु भूमि भी वन भूमि हस्तान्तारण प्रस्ताव में सम्मिलित की जानी थी। अतः मलवा निस्तारण हेतु भूमि (7.92 हे0) चिन्हित कर कुल 32.553 हे0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का संशोधित प्रस्ताव वर्ष 2016–2017 में गठित किया गया। जिस हेतु पुनः वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु बैढकें (ग्राम सभा ,उपखण्ड स्तरीय एवं खंडीय स्तरीय) की गई और

		जिसका कार्यवृत्त प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही हेतु वर्ष 2016–2017 मे हुई बैठकों का कार्यवृत्त ही अंतिम रुप से सही है। जिसको प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर संलग्न कर ऑनलाइन रू्प से अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2015 में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित हुई बैठकें वैध्य नहीं है तथा इनके कार्यवृत्त को प्रस्ताव से हटा दिया गया है।
5–	बिन्दु संख्या 9 से अपेक्षित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानचित्र एवं Kml File उपलब्ध नहीं की गयी है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल एवं जियोरेफरेन्स मानचित्र एवं Kml File को प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी की E-Mail Id- dfo_pauri_uta@yahoo.co.in पर दिनांक 10.04.2022 समय 6:38 बजे इस खण्ड की Email Id- eenhsrinagar@gmail.com द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार विषयक वन भूमि हस्तान्तारण प्रस्ताव में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुनः आपको स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर

पत्रांक / दिनांक /04/2022

प्रतिलिपि–1–वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

2–मै0 लॉयन इन्जीनियरिंग को इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल से व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए वन भूमि प्रस्ताव को शीघ्र अग्रसारित करवाना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर